यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय कुमार/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यवीर सिंह/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/02/2019 से 12/02/2019 तक श्री वी0पी0 सिंह/लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, श्री राजेश कुमार सिन्हा/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 19.02.2018 से 28.02.2018 तक में श्री सुधीर श्रीवास्तव/लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**जनपद उधमसिंह नगर में विधानसभा क्षेत्र किच्छा, गदरपुर, रूद्रपुर के अन्तर्गत मार्ग /सेतु /भवनों का निर्माण नवनिर्माण अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य किये जाते है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	628.46	628.46	2340.21	2293.82	-	44.39
2017-18	-	-	716.89	716.89	2735.17	2672.00	-	63.17
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	760.43	583.16	2989.45	2392.95	-	596.50

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2016-17	शून्य					
2017-18						
2018-19 (up to 12/2018)						

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन/प्रमुख अभियन्ता कार्यालयद्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

—— सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन

——प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून

——मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, क्षे0का0, हल्द्वानी

—— अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

—— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रुद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 356/2015 के अंतर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में दिनेशपुर क्षेत्र में 18 किमी0 मार्गो का नवनिर्माण एवं पुनः निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक —— शून्य ——तक में निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 एवं 09/2018 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है:–

भाग प्रथम ₹(–) 9056651.00

भाग द्वितीय ₹ 22437.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु 2430974.57

(ख) सामग्री क्रय .. शून्य ..

(ग) नगद परिशोधन .. शून्य ..

(घ) निक्षेप ₹ 52669194.48

(ङ) भण्डार ₹(-) 3663591.00

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–1 निक्षेप भाग–।।। में धनराशि रू0 432.13 लाख असमायोजित/अवशेष रहना तथा कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–) 6.71 लाख का असमायोजित रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर के अभिलेखों/निक्षेप पंजिका (वर्ष 2018–19) के अवलोकन में पाया गया कि निक्षेप भाग–।।। में कुल धनराशि रू0 43213674.34 असमायोजित/अवशेष पड़ी हुयी थी, जिनमें से धनराशि रू0 155.93 लाख की कार्य/मदें (रू0 1.00 लाख से अधिक की कार्य मदें) काफी पुरानी थी जिनका विवरण निम्नवत् थाः–

Item No.	Month from which transaction	Particulars of Item (रू0 1.00 लाख से अधिक की कार्य मदें)	असमायोजित/अवशेष धनराशि (रू0)
1/1	10/97	राजकीय महाविद्यालय रूद्रपुर के एडोटोरियम में गूंज अवरोधर	398661.00
3/3	03/99	इन्द्रा चौक चौराहे का सुधार एवं सौन्द्रीकरण	351078.00
6/6	3/99	अधि0 अभियन्ता, निर्माण शाखा, जल निगम उ0प्र0, ऊधमसिंह नगर से प्राप्त रोड कटिंग चार्जेज	489625.00
7/7	2/05	सिब्बल सिनेमा मार्ग तथा मुख्य बाजार में रोड कटिंग चार्जेज	383328.00
11/11	3/08	दिनेशपुर टेलीफोन एक्सचेंज से पत्थर चट्टा मोड़ तक रोड कटिंग चार्जेज	192375.00
16/17	4/2000	PHC गदरपुर से वार्ड का निर्माण	533000.00
17/18	3/03	जिलाधिकारी ऊ0सि0न0 जिला यो0 पूल्ड आवास	1447967.00
28/29	4/5	बुक्सा जनजाति हेतु सामुदायिक विकास भवन गदरपुर का निर्माण	199191.00
29/30	4/02	जिलाधिकारी ऊ0सि0न0 भू0 अर्जन एवं क्षतिग्रस्त प्रतिकर भुगतान	646318.00
30/31	8/03	ऊ0सि0न0 के अन्तर्गत 8 मार्गो में भूअर्जन एवं	1200000.00

		क्षति के प्रतिकर भुगतान	
32/33	3/8	रम्पुरा स्थित राजस्व विभाग के आवासो की चारदीवारी	450000.00
39/40	6/08	रूद्रपुर में उपभोक्ताओं फोरम कार्यालय का निर्माण	1478080.00
59	11/10	जिलाधिकारी ऊ0सि0न0 SRMD के 13 कार्य अवरोध	261184.00
64	5/11	गेल इण्डिया गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु	303000.00
71	11/12	कलैक्ट्रेट भवन की रंगाई पुताई का कार्य	237019.00
73	3/13	रूद्रपुर के न्याय विभाग के गेस्ट हाउस का निर्माण	2128295.00
78	3/15	रोडकटिंग से प्राप्त राशि	426044.00
83	08/16	जिलाधिकारी ऊ0सि0न0 के शिविर कार्यालय में शौचालय एवं अन्य लघु मरम्मत हेतु	194000.00
86	01/17	जिला विकास अधिकारी के आवासीय भवन मरम्मत की अवशेष धनराशि	543000.00
89		एकीकृत औद्योगिक आस्थान सिडकुल पन्तनगर के सेक्टर 9 के क्षतिग्रस्त आन्तरिक मार्गो के पुनः निर्माण कार्य	3731202.00
	योग		**15593367.00**

आगे निक्षेप पंजिका की जांच में पाया गया कि कई कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–)671529.00 प्रदर्शित हो रहा था जबकि वित्तीय प्राविधानों के अनुसार निक्षेप कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक का कार्य नही किया जाना चाहिये। उक्त कार्य मदों पर अधिक किये गये व्यय को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा तक समायोजन नही किया गया था जबकि कार्य मदों पर transaction date काफी पुरानी थी, जिनका विवरण निम्नवत् था :–

Deposit register Item No.	Month from which transaction date	Particulars of items	**असमायोजित/ अवशेष धनराशि (रू0)**
2/2	09/98	श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक से काशीपुर बाईपास पर चौराहे का निर्माण एवं अन्य कार्य	(–) 364615.00
51/53	01/10	किच्छा के उपनिबन्धक कार्या0 का निर्माण	(–) 61.00
60	10/10	जिला योजना मार्ग/सेतु कार्य	(–) 554.00
91		थाना ट्रांजिटकैम्प का भवन निर्माण	(–) 306229.00
		योग	**(–) 671529.00**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कुछ धनराशियां उत्तर प्रदेश के समय की हैं जोकि फ्रीज होंगी, कुछ की वापसी की कार्यवाही की जा रही है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि उक्त कार्य मदों के सापेक्ष अभी तक धनराशियां अवशेष पड़ी हुई थी जिनका समायोजन नही किया जा सका था।

अतः निक्षेप भाग–।।। में धनराशि रू0 432.13 लाख असमायोजित/अवशेष रहने तथा कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–) 6.71 लाख के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2 : नाबार्ड मद की धनराशि ₹109.05 लाख का व्ययवर्तन (Diversion) किया जाना एवं ठेकेदार से ₹7.50 लाख अग्रिम की वसूली न किया जाना।

मुख्यमंत्री घोषणा 195/2015 के अंतर्गत (नाबार्ड वित्तपोषित) जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के 05 किमी० सड़क का निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹335.45 लाख की शासनादेश संख्या 4367/III(2)/15-07 (मु०म०घो०)/2015 दिनांक: 27 मई 2015 को प्राप्त हुई। जिस पर ₹335.45 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 20.10.2015 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स माधव कन्सट्रक्सन गदरपुर के साथ अनुबन्ध संख्या 15/SE-4/15 दिनांक 07.12.2015 को लागत ₹170.85 लाख का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक: 07.12.2015 को प्रारम्भ कर दिनांक: 06.12.2016 को समाप्त किया जाना था। लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक भी कार्य पूर्ण नही किया गया था, न ही ठेकेदार को कार्य करने हेतु कोई समयवृद्धि स्वीकृत की गयी थी । अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० रुद्रपुर के अंतर्गत उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि:

1. उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 15/SE-4/15 दिनांक 07.12.2015 को ₹170.85 लाख लागत का मैसर्स माधव कन्सट्रक्सन गदरपुर के साथ गठित किया गया था। जिसके सापेक्ष माह 01/2019 तक ₹215.40 लाख का भुगतान किया गया जा चुका था, जिसमे माह 03/2018 को दिया जाने वाला ₹7.50 लाख का अग्रिम भुगतान भी सम्मिलित है। किन्तु कार्य के भुगतान से संबन्धित अभिलेखो मे पाया गया कि प्रपत्र 64 एवं MPR के अनुसार उक्त कार्य पर माह 01/2019 तक ₹324.45 लाख का व्यय किया जा चुका था। अर्थात नाबार्ड मद मे प्राप्त ₹109.05 लाख का अन्य कार्यो पर अनुचित भुगतान/व्ययवर्तन किया गया था।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol-6 के पैरा संख्या-456 के अनुसार "No secured advances are made for any materials, unless they are to be used within three months at the

most". किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु खण्ड द्वारा मैसर्स माधव कन्सट्रक्सन गदरपुर को माह 03/2018 को ₹**7.50 लाख** का बिना ब्याज के ही अग्रिम दिया गया था। जिसकी अभी तक **11 माह बाद** भी ठेकेदार से वसूली की नही की गयी थी, न ही ठेकेदार के देयक से अभी तक समायोजन किया। जबकि ठेकेदार से ली गयी बैक गारंटी की वैधता भी दिनांक: 06.12.2016 को समाप्त हो गयी थी। जिसकी वैधता लेखापरीक्षा तिथि तक भी नही बढ़ाई गयी थी।

सम्प्रेक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त धनराशि मे से कुछ धनराशि आकस्मिक मदों पर एवं कुछ त्रुटिवश अन्य कार्यो पर व्यय किया गया है, जिसका समायोजन कर लिया जायेगा। आगे ₹7.50 लाख अग्रिम के सम्बंध मे बताया गया कि उक्त संबन्धित धनराशि का भुगतान ठेकेदार को work done yet not measured हेतु प्रदान किया गया था। जिसकी वसूली आगामी देयक से कर ली जाएगी।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योकि उक्त कार्य पर अवशेष धनराशि ₹109.05 लाख व्यय किए जाने से संबन्धित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया। न ही खंड द्वारा नाबार्ड मद से संबन्धित उक्त धनराशि को अन्य कार्यो पर व्यय करने हेतु किसी भी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति ली गयी थी। आगे ₹7.50 लाख अग्रिम के सम्बंध work done yet not measured हेतु भुगतान किए जाने से संबन्धित उत्तर भी लेखापरीक्षा मे मान्य नही है क्योकि उक्त धनराशि भुगतान के समय बिल/बावचर मे कही भी ये अंकित नही किया गया है। न ही ठेकेदार द्वारा लगभग 1 वर्ष से कोई कार्य किया गया है। नियमानुसार अभी तक ठेकेदार से ब्याज सहित अग्रिम धनराशि की वसूली कर ली जानी चाहिए थी। जो खंड द्वारा नही की गयी थी।

अतः नाबार्ड मद की धनराशि ₹109.05 लाख का व्ययवर्तन (Diversion) किया जाना एवं ठेकेदार से ₹7.50 लाख अग्रिम की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग– दो 'ब'

प्रस्तर 3 –प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किया जाना तथा अधिक दरों पर अनुबन्ध गठित कर कार्य निष्पादित कराये जाने से रू0 49.70 लाख का व्ययाधिक्य किया जाना।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 151/2016 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर में 05 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः–2399/III(2)/16-22(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 02 सितम्बर 2016 द्वारा लम्बाई 5.00 कि0मी0 हेतु लागत ₹413.51 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 6586/01 याता0– हल्द्वानी/2016 दिनांक 04–11–2016 के माध्यम से 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत ₹413.51 लाख की प्रदान की गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (02/2019) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 6586/01 याता0– हल्द्वानी/2016 दिनांक 04–11–2016 को प्रदान की गयी थी, जबकि वित्तीय प्राविधानों के विपरीत कार्य हेतु निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 08.09.2016 को आमंत्रित की गयी, जबकि कार्य के अनुबन्ध में दरें मदवार न होकर प्रतिशत दर के आधार पर दी गयी थी।
- कार्य के अभिलेखों/अनुबन्धों के अवलोकन में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता स्तर से गठित अनुबन्धों को आगणित दरों से 30.0% से 31.0% तक Below पर गठित किया गया जबकि उन्ही कार्य मदों के लिये अधीक्षण अभियन्ता स्तर से गठित अनुबन्धों को आगणित दरों से मात्र 0.15%से 0.30% तक Below पर गठित किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य की समान मदों को ही अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अधिक दरों

पर अनुबन्ध गठित कर निष्पादित कराया गया, जिसके कारण ₹49.70 लाख का व्ययाधिक्य किया गया जिसका विवरण निम्नवत् हैः

अनुबन्ध सं0	निष्पादित कार्य का कुल मूल्य रू0	अनुबन्ध के अनु0 निष्पादित कार्य का Below मूल्य (0.30% एवं 0.15% Below के अनु0) रू0	निष्पादित कार्य का 30% Below के अनु0 मूल्य रू0	व्ययाधिक्य(4 – 3) रू0
1.	2.	3.	4.	5.
36/SE-4 Dt 21-12-2016	8752359.00	26257.00	2625707.00	2599450.00
37/SE-4 Dt 21-12-2016	7943623.65	11915.00	2383087.00	2371172.00
योग				**4970622.00**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुये निविदा आमन्त्रित की गयी, निविदायें खुली प्रतिस्पर्धा से प्राप्त हुयी तदोपरान्त ही अनुबन्धों का गठन किया गया। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योंकि अनुबन्ध में दरें मदवार न होकर प्रतिशत दर के आधार पर गठित की गयी थी तथा कार्य की समान मदों को ही अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अधिक दरों पर अनुबन्ध गठित कर निष्पादित कराया गया जबकि उन्ही कार्य मदों को उसी समय अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्धों में कम दरों पर निष्पादित कराया गया।

अतः प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किया जाना तथा अधिक दरों पर अनुबन्ध गठित कर कार्य निष्पादित कराये जाने से ₹49.70 लाख का व्ययाधिक्य किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
95/1990-91	10	-
79/1991-92	1	-
47/1992-93	-	4
49/1994-95	-	2
205/1995-96	1	2
105/1999-00	2	1
132/2000-01	2	1,2,3,4,5
37/2001-02	1,2,3	5
32/2002-03	1	3,4
17/2003-04	-	4
70/2004-05	-	1(ब)
53/2006-07	-	1(ब)
52/2007-08	-	1
25/2010-11	-	1,2,3
41/2013-14	-	1,2,3
12/2015-16	-	1,2,3
22/2016-17	1	1,2,3,4
89/2017-18	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या उच्च अधिकारिओ के माध्यम से पूर्व मे ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) को पृथक से प्रेषित कर दी गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख: .....
3. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री जे०सी०पन्तोला	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   1.श्री ओमप्रकाश सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2